न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 127/2018
आरसीएमएस नं. 2018/243

हंसराज पुत्र श्री मिठूराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. नरसीराम पुत्र बृजलाल पुत्र मिठूराम
2. हरकौर पत्नी धुंकलराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र धुंकलराम
4. खेताराम पुत्र धुंकलराम

} जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 26.02.2018
द्वारा सहायक कलक्टर, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 18/2017 बअनवान नरसीराम बनाम हरकौरी आदि

श्री जगराज सिह भारी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री ओ0 पी0 मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री संजय चांडक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 20.9.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि मिठूराम के नाम चक 7 एलकेएस में कुल 32 बीघा भूमि थी। मिठूराम का स्वर्गवास हो चुका है। मिठूराम की पत्नी व पुत्रियों ने अपने हिस्सा की दस्तबरदारी हपने भाईयों पुत्रों के पक्ष में कर दी। मिठूराम के तीन पुत्र बृजलाल, धुंकलराम व हंसराज थे। धुंकलराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा मिठूराम के देहान्त के बाद घुंकलराम व हंसराज ने मिठूराम की भूमि का अंकन दोनों ने अपने नाम करवा लिया। जबकि मिठूराम के तीन पुत्र थे। विवादित भूमि मिठूराम से प्राप्त जद्दी जायदाद है। जिसमें बृजलाल के हिस्सा की भूमि की 1/3 हिस्सा भूमि में बृजलाल व वादी व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 ब.हि.ब. के अधिकारी व खातेदार हैं। वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि को रहन बैय करने को उतारू है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगा इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने जवाब पेश किया कि मिठूराम के भाई रामचन्द्र उर्फ मोडिया उर्फ मोडूराम के मात्र एक पुत्री मैनादेवी थी। रामचन्द्र ने बृजलाल को सामाजिक रस्मो रिवाज से गोद ले लिया था और बृजलाल ने रामचन्द्र की भूमि की भूमि में से अपना हिस्सा ले लिया था। गोदनामा की लिखित नहीं हुई थी। गोद जाने के कारण बृजलाल का बुधा उर्फ मिनिया उर्फ मिठूराम से की भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा है। बृजलाल ने रोबरू गवाहान एक दस्तावेज इकरारनामा प्रतिवादी सं0 5 व प्रतिवादी सं0 5 के भाई को लिखकर दिया कि मिकर मोडूराम के गोद चला गया है। उसका मिठूराम से प्राप्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही भविष्य में मेरे द्वारा किसी प्रकार कोई उजर एतराज व दावा किया जायेगा। प्रश्गनत भूमि बुधा उर्फ मिनिया उर्फ मिठूराम के नाम की भूमि यदि धुंकलराम व हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती है तो मुझे (बृजलाल) को कोई एतराज नहीं है। मेरे द्वारा अपना हिस्सा रामचन्द्र उर्फ मोडियाउर्फ मोडूराम से प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी वादपत्र प्रस्तुत कर किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3 विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि मिठूराम से प्राप्त कृषि भूमि है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 जो बृजलाल का पुत्र है। बृजलाल अपने प्राकृतिक पिता मिठूराम की सहमति से मोडूराम के गोद चला गया था। गोद जाने के बाद मोडूराम की समस्त भूमि बृजलाल को प्राप्त हुई। रेस्पोडेण्ट सं0 1 बृजलाल के नाम कृषि भूमि में ही खातेदारी घोषणा प्राप्त कर सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2007 (2) पेज 744, ला मिरर डोट कॉम/फाईल नं. 34424, एआरईआर 1988 पेज 188 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4 विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि मिठूराम व मोडूराम दो भाई थे जिनके नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज थी। मोडूराम की सेवा चाकरी बृजलाल पुत्र मिठूराम करता था। इसलिए मोडूराम अपनी स्वतंत्र इच्छा से एवं बृजलाल की सेवा खुश होकर अपनी 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत बृजलाल के पक्ष में दिनांक 7.04.1976 को करवाई। वसीयत में मोडूराम ने लिखा है कि मिकर के छोट भाई का लड़का बृजलाल पुत्र मिठूराम मेरी मृत्यु के बाद मेरी चक 7 एलकेएस की 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि का मालिक होगा। वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल बृजलाल के नाम हो गया। मोडूराम की शेष बची भूमि काविरास्तन इन्तकाल उसके भाई मिठूराम के नाम दर्ज किया गया। मिठूराम क 3 पुत्र बृजलाल, धोंकलराम, हंसराज थे जो मिठूराम की भूमि में बहिस्सा बराबर के अधिकारी हुए। मिठूराम की पत्नी व पुत्रियों ने अपना हिस्सा त्याग दिया था वे दस्तबरदार हो गई थी। धोंकलराम व हंसराज ने भू प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप मिठूराम की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली और बृजलाल को मोडूराम का खोलायत पुत्र होना बता दिया। मोडूराम ने कभी भी बृजलाल को गोद नही लिया तथा ना ही बृजलाल के माता पिता ने कभी गोद दिया। बृजलाल मोडूराम का खोलायत पुत्र नहीं है वह मिठूराम का पुत्र है। कभी भी कोई खोलानामा नही लिख गया तथा ना ही तस्दीक करवाया गया। कभी भी कोई खोलानामा की रस्म अदा नही की गई। धोंकलराम व हंसराज ने बृजलाल की भूमि का हक हड़पने की नियत से गलत व मिथ्या कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरओएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा के निर्णय तक स्थगन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जारी किया है वह विधि अनुसार है। अगर स्थगन आदेश जारी नही किया जाता है अप्रार्थीगण गलत अंकन के आधार पर भूमि बय कर देंगे जिससे बृजलाल व उसके पत्र जद्दी जायदाद भूमि से महरूम हो जायेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच भूमि के हक का विवाद चल रहा हो तो कानूनन भूमि की रक्षा एवं पक्षकारान के हितों की रक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिए। यह भी कि मिठूराम की पत्नी व पुत्रियों ने अपने हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी करवा दी है जो दस्ताबरदारी मिठूराम के सभी तीनों पुत्रों के पक्ष में मानी जायेगी। किसी एक या दो के पक्ष में नहीं। भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग ने मिठूराम की भूमि धोंकलराम व हंसराज के नाम दर्ज कर दी हे जबकि बृजलाल पुत्र मिठूराम बराबर का अधिकारी है। धोंकलराम व हंसराज के कहने मात्र से बृजलाल का खोलायत पुत्र नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय मूल दावा में साक्ष्य के आधार पर होगा तथा खोलायत पुत्र घोषित करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया एवं अपील स्वीकार करने का कथन किया।
6. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता ने पुनः कथन किया कि धोंकलराम के वारिस अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं। इनके द्वारा जबाब पेश किया गया है। इनके द्वारा खोलानामा प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरटी 2002 (1) पेज 251, आरआरटी 2004 (1) पेज 590, आरआरटी 2005 (2) पेज 212, आरआरटी 2017 (1) पेज 491, आरआरटी 2014 (1) पेज 509, आरआरटी 2020 (1) पेज 37, आरआरटी 2018 (1) पेज 292 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
9. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडण्ट सं0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका प्रश्नगत भूमि में विरास्तन हक हिस्से का विवाद है। अपीलाण्ट ने बृजलाल को मोडूराम का खोलायत पुत्र होना बताया गया है। मोडूराम का खोलायत पुत्र होने के कारण उसका प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं होना बताया है। रेस्पोडण्ट सं0 1 का कथन है कि बृजलाल मोडूराम का खोलायत पुत्र नहीं है वह मिठूराम का पुत्र है। मिठूराम का पुत्र होने के कारण वह मिठूराम की भूमि में हक हिस्से का हकदार है। उपरोक्त बिन्दूओं का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में उभय पक्ष के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साक्ष्यों के उपरान्त ही तय होना है। अगर राजस्व रिकार्ड में अंकन पर विवाद हो एवं उस अंकन के आधार पर भूमि बैय हो जाती है तो रेस्पोडेण्ट अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा। परिवार के सदस्यों के बीच भूमि के हक हिस्से का विवाद हो तो कानूनन भूमि की रक्षा एवं पक्षकारान के हितों की रक्षा करने के लिए स्थगन जारी किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है तो वह विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 20.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/22

(करतारसिंह पूनीयां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ